

प्रकाश,

जिला नैतिक शिक्षा अधिकारी
शाहजहाँपुर

सेवा में,

प्रधान्या,

1- सेंट पॉल, प्राथमरी स्कूल, शाहजहाँपुर

2- गैंगोडिस्ट, प्राथमरी स्कूल, शाहजहाँपुर

संज्ञा/लेख/ 3/1/75-25

/02-03 दिनांक: सितम्बर/1, 1902

विषय:- विद्यालय की प्राथमरी स्तर की स्थानीय मान्यता के सम्बन्ध में।

गहोवर,

उपर्युक्त विद्यालय आपके विद्यालय के मान्यता के आवेदन पत्र के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि आपके विद्यालय को 45 1-7-02 के प्राथमरी स्तर तथा 1-से 5 तक की स्थानीय मान्यता निम्न प्रतिमानों सहित प्राप्त की जाती है :-

- 1- विद्यालयीय आदेशों का पड़ाव से पालन किया जाए।
- 2- अध्यापकों की नियुक्ति का विद्यालयीय अनुमोदन इस कार्यालय से प्रदान किया जाए।
- 3- विद्यार्थियों से अधिकतम 15/- प्रति माह शुल्क लिया जाए जोकि अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का शुल्क या चन्दा छात्रों/छात्राओं से न लिया जाए।
- 4- शिक्षा संहिता की धारा 106 से 114 में दी गई बातों का विधिपूर्वक पालन करते हुए यह प्रमाणित किया जाए कि विद्यालय में प्रवेश पाने एवं पढ़ने वाले 25 प्रतिशत ईश्वर निर्भर एवं के छात्रों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए।
- 5- विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों/अध्यापिकाओं को वही वेतन मान तथा भारते आदि भुगतान दिए जाए जो नैतिक शिक्षा परिषद के तत्काल तमज्जा स्तर के अध्यापकों को समय समय पर अनुगम्य हों।
- 6- किसी भी वृद्धा में अध्यापकों/छात्राओं का संगठन न किया जाए।
- 7- उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त नैतिक स्कूलों के अध्यापकों की भांती तथा सेवा की भांती तथा अन्यथा नियमावली 1975 तथा उपरोक्त मान्यता प्राप्ति के बाद अध्यापकों की भांती तथा सेवा की शर्तों, प्रथम तन्त्राधान नियमावली 1977 में उल्लिखित नियमों/धाराओं के तहत समय पर तन्त्राधानों को पड़ाव से पालन किया जाए।
- 8- विद्यालयीय आदेशों एवं निर्देशों का अंगीकार करने पर विद्यालय को मान्यता समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

सुन्दरी

जिला नैतिक शिक्षा अधिकारी
शाहजहाँपुर

संज्ञा/लेख/ 3/1/75-25

/02-03 दिनांक उती तिथि को

प्रतिनिधि नियुक्ति की सेवा में सूचना-प्रसारित :-

- 1- जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहाँपुर।
- 2- जय जिला नैतिक शिक्षा अधिकारी/सहायक शाहजहाँपुर।
- 3- उय विद्यालय निरीक्षक, शाहजहाँपुर।
- 4- उय वाणिजी विद्यालय निरीक्षक निरादिका, शाहजहाँपुर।
- 5- शिक्षा अधीक्षक, नवश्री तिलहर एवं शाहजहाँपुर।

जिला नैतिक शिक्षा अधिकारी
शाहजहाँपुर

Manager

St. Paul's Inter College

13 Cantt. Shahjahanpur

U.P.-242 001

Principal

St. Paul's Inter College

13 Cantt., Shahjahanpur

U.P.-242 001

प्रमाण,

महत्वाय विद्या उप निदेशक,
तृतीय मंडल, बरेली।

सेवा में,

प्रबन्धक

सेन्ट पॉल जूनियर हाई स्कूल, शाहजहाँपुर।

पत्रांक वि० सं०/ 7505-25/80-8।

दिनांक 13 जनवरी, 1981।

विषय:- सेन्ट पॉल जूनियर हाई स्कूल, शाहजहाँपुर की स्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।
=====

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला मान्यता समिति शाहजहाँपुर एवं जिला वैश्विक

विद्या अधिकारी, शाहजहाँपुर के पत्रांक सं० लेख / बारह- एच-56/ 6848/ 80-8

दिनांक 20-12-80 के द्वारा प्राप्त मई तिथि के अन्तर्गत के आपा र पत्र सेन्ट पॉल

जूनियर हाई स्कूल, शाहजहाँपुर की जून. हा. 10 स्कूल स्तर) कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों

मान्यता आदेश निर्गमन के निर्दिष्ट प्रतिबन्ध सहित प्रदान को जातो है।

1- विद्यार्थियों में शिक्षा सहिता / शास्त्रात्मकता / विशागोय आदेशों का पालन कर रहे से वि
निय।

2- विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की शिक्षा की संस्कट न किया जाय।

3- विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण कार्य करना-निय।

4- विद्यालय में निर्धारित दरों के अनुसार ही शुल्क लिया जाय।

विद्यालय में शिक्षा की स्थायी मान्यता प्राप्त करने का अधिकारी विद्यार्थी

पर सुरक्षित है।

Compared
21/1/81

Attested
21/1/81

प्रबन्धक
80/ अपठनीय

महत्वाय विद्या उप निदेशक,
तृतीय मंडल, बरेली।

पूरा सं० वि० सं०/ 7505-25-8 / 80-8।

उक्त तिथि की

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी / जिला विद्यालय निदेशक, तृतीय मंडल।

2- उप विद्या निदेशक, उक्त प्र०। बरेली में को भेजें।

3- अतिरिक्त विद्या निदेशक, मा. उ. उ. प्र०, इलाहाबाद।

4- अतिरिक्त विद्या निदेशक, वैश्विक उ. उ. प्र०, इलाहाबाद।

5- संपूर्ण विद्या निदेशक, जिला, विद्या निदेशक, उ. उ. प्र०, इलाहाबाद।

Manager

Principal

- 
Principal
St. Paul's Inter College
13 Cantt., Shahjahanpur
U P-242 001